अधिशासी अभियंता की जांच कराने की मांग

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर। भाकियू अराजनीतिक नौहारा इकाई के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एसडीएम स्मृति मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता की जांच कराने की मांग की है।

बताया गया कि अधिशासी अभियंता की ओर से अधिकांश बिजली उपभोक्ताओं की ओर से बिल जमा करने के बाद भी उनकी आरसी काट कर राजस्व विभाग को भेजी जा रही है। हालांकि अधिशासी अभियंता विनोद कुमार गंगवार ने इस प्रकार के आरोपों का खंडन किया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि अधिकांश पंचायतों के ग्राम प्रधानों द्वारा पंचायत के कूड़े को तालाबों में फेंक कर पानी प्रदूषित किया जा रहा है। इससे बीमारी की आशंका बढ़ गई है।

बताया कि ब्लॉक के एक दर्जन से अधिक गांवों में तालाबों की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे हैं। उन्हें मुक्त करने की मांग की। बताया कि सरकार की ओर से गांवों के तिराहों और चौराहों पर स्ट्रीट लाइटों को लगवाया गया है।

कार्यकर्ताओं ने स्ट्रीट लाइटों को चालू कराने की मांग की है, जिससे गांव में आ रहे वन्य जीवों से बचा जा सके। ज्ञापन देने वालों में तहसील अध्यक्ष आलोक कुमार डागर आदि मौजूद रहे।

रामपुर में एसडीएम को ज्ञापन सौंपते अराजनैतिक कार्यकर्ता। फोटो: कार्यकर्ता

हाईवे निर्माण धीमा, उड़ती धूल में जोखिम उठा रहे राहगीर

संवाद न्यूज एजेंसी

नजीबाबाद। मेरठ-चौड़ी फोरलेन हाईवे की कोटद्वार से पूर्व निर्माण कार्य की गति धीमी होने आए दिन आवागमन प्रभावित हो रहा है। भारी धूल के बीच से जोखिम उठाकर दोपहिया और चौपहिया वाहन गुजर रहे हैं। जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने हाईवे निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई है।

मेरठ-चौड़ी फोरलेन नजीबाबाद से होकर गुजरता है। किसान सहकारी चीनी मिल नजीबाबाद तक फोरलेन हाईवे निर्माण कराया गया है। चीनी मिल नजीबाबाद से मूखरो नदी पुल होते हुए कोटद्वार सीमा तक ट्रूलेन हाईवे निर्माण कराया जाना है। नजीबाबाद से कोटद्वार सीमा तक हाईवे निर्माण कार्य की गति शुरुआती दौर काफी धीमी होने, बीच-बीच में काम बंद होने, निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री समय से न मिलने से निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा नहीं हो पाया। हाईवे अथॉरिटी द्वारा मार्च तक नजीबाबाद-कोटद्वार हाईवे निर्माण कार्य पूरा करने का दावा किया गया था लेकिन निर्माण कंपनी और ठेकेदार की उदासीनता से कार्य ने गति नहीं पकड़ी।

नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग पर मूखरो नदी पुल के आसपास निर्माण कार्य चल रहा है। कोटद्वार दिशा में निर्माण कार्य के चलते भारी धूल और धीमी गति से निर्माण कार्य होने से नजीबाबाद से कोटद्वार दोपहिया वाहनों से आवागमन करने वाले दैनिक यात्री जोखिम उठाने को विवश है। बड़ी संख्या में दैनिक यात्री नजीबाबाद से पैसेंजर ट्रेन द्वारा यात्रा करने को मजबूर हैं। नजीबाबाद तहसील की सीमांत ग्राम पंचायत मोटाढाक के ग्राम प्रधान सागर बडोला का कहना है कि निर्माण गति धीमी होने और वाहनों के आवागमन से भारी धूल उड़ाने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने हाईवे अथॉरिटी से जनहित में कार्य में तेजी लाकर शीघ्र मार्ग निर्माण पूरा करने की मांग की।

उधर एनएचएआई के डिप्टी मैनेजर अमित शर्मा का कहना है मात्र 10 किलोमीटर हाईवे निर्माण कार्य शेष है। एक माह में हाईवे निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

नजीबाबाद-कोटद्वार हाईवे निर्माण की गति धीमी होने के बीच धूल से गुजर रहे वाहन। संवाद

जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने हाईवे निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई

न्यूज डायरी

चिकित्सक की मनमानी के खिलाफ धरना जारी

अफजलगढ़। सीएचसी पर तैनात चिकित्सक द्वारा मरीजों को बाहर से दवा लिखने और उनका उत्पीड़न करने के विरोध में भाकियू सामाजिक का धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चिकित्सक का व्यवहार और भाषा शैली अभद्र है। वह अपनी मनमानी के चलते दवाई के पर्चे भी बाहर के मेडिकल स्टोर के लिए लिख रहे हैं। इससे अस्पताल आने वाले गरीब रोगियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सक की शिकायत लिखित व मौखिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित जिले के अन्य अधिकारियों से भी की गई लेकिन चिकित्सक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। धरना-प्रदर्शन के दौरान ज्ञानचंद्र प्रजापति, आरेंद्र शर्मा, शेर सिंह, विजेंद्र सिंह, रिशीपाल सिंह, इमरान अहमद, अब्दुल बारी, अहसान साही, मोहम्मद अकरम सिद्दीकी, सुशील कुमार, जलालुद्दीन, यासीन आदि मौजूद रहे। संवाद

ग्रीन बेल्ट में हो रहा अवैध आवासों का निर्माण

धामपुर। नगर के दिनेश कुमार, गोविंद सिंह, सत्यप्रिय, वीरेंद्र कुमार, भोपाल सिंह, महावीर सिंह, राम सिंह आदि लोगों ने जिलाधिकारी को भेजी शिकायत में बताया कि सरकार की ओर से ग्रीन बेल्ट में किसी भी प्रकार के कमर्शियल एवं आवासीय भवनों के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। इसके बावजूद ग्राम चौक से लेकर दुर्गा विहार कॉलोनी बाईपास मार्ग के दोनों तरफ अवैध तौर पर निर्माण हो रहा है। शिकायत करने के बाद भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उप जिलाधिकारी स्मृति मिश्रा से प्रयास करने के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया। उधर तहसीलदार धनराज कुमार का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई होगी। संवाद

किसान की रिहाई को लेकर धरना शुरू

किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग कर रहे भाकियू अराजनीतिक के कार्यकर्ता

संवाद न्यूज एजेंसी

नजीबाबाद। किसान रूपेंद्र सिंह की रिहाई और अन्य किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर किसान यूनियन अराजनीतिक ने तहसील में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की लेकिन जेल से किसान रिहा कराने और मुकदमा वापस लेने की मांग पर किसानों के अड़े रहने पर वार्ता विफल हो गई।

किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव आल्लोपुर निवासी अमर सिंह का जमीनी विवाद गांव के ही किसान रूपेंद्र सिंह से चल रहा था। अमर सिंह ने हाल ही में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। किसान रूपेंद्र सिंह और नौ के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज की गई। पुलिस द्वारा रूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद से किसान पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। किसान रूपेंद्र सिंह को तत्काल जेल से रिहा करने और बाकी लोगों के खिलाफ लिखाया मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने तहसील परिसर में मंगलवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया।

किसान यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष बलराम सिंह, जिला अध्यक्ष नितिन सिरोही, नितेंद्र प्रधान, तहसील अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष कुलवीर सिंह, सुखजिंदर गोल्डी भोपाल सिंह राठी के नेतृत्व में शुरू हुए धरने में किसानों ने अमर सिंह मौत प्रकरण में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए।

एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, सीओ आकांक्षा गौतम, थाना प्रभारी अमित कुमार ने धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंचकर वार्ता की। किसानों ने किरतपुर पुलिस पर अमर सिंह द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट की गंभीरता से जांच न कर जल्दबाजी में कार्रवाई कर किसान रूपेंद्र को जेल भेजने पर रोष व्यक्त किया।

सीओ ने विवेचना ,सुसाइड नोट और कानूनी कार्रवाई से संबंधित पुलिस का पक्ष रखा। किसानों ने प्रशासन से दो टूक कहा कि जब तक किसान रूपेंद्र सिंह को रिहा नहीं किया जाता और अन्य किसानों के खिलाफ मुकदमा वापस नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने छह जुलाई को मामले में महा पंचायत आयोजित करने की घोषणा की है। धरना प्रदर्शन में विजय सिंह, गजेंद्र सिंह ,पुनीत चौहान सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।

नजीबाबाद तहसील में किसानों से वार्ता करते एसडीएम और सीओ। संवाद

किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता विफल रही

जल निगम की अनदेखी से गांव खेड़ा की चरमराई पेयजल आपूर्ति

संवाद न्यूज एजेंसी

हीमपुर दीपा। क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाजीदपुर के ओवरहेड टैंक से जुड़े गांव खेड़ा के ग्रामीणों को पेयजल मयस्सर नहीं हो पा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अति शीघ्र समस्या का निवारण न होने पर जिला मुख्यालय पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

गांव खेड़ा को 24 घंटे में मात्र एक या दो घंटे पेयजल की आपूर्ति हो रही है। भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण पेयजल को तरस रहे हैं। इस संबंध में सेवानिवृत शिक्षक बलिराम शर्मा, सुमित कुमार, जितेंद्र सिंह, जोगिंदर सिंह, अर्जुन सिंह, बहादुर सिंह, सौज्ञान सिंह, संजीव कुमार, रेखा देवी, आर्यन कुमार आदि का कहना है कि उन्होंने समस्या निस्तारण के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री पोर्टल, सांसद चंदन चौहान, मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की है। उन्होंने चेतावनी दी यदि एक सप्ताह के भीतर ओवरहेड टैंक में आई तकनीकी खराबी को दूर नहीं कराया गया तो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया जाएगा।

जल निगम के अवर अभियंता दीपक कुमार ने बताया कि संबंधित ओवरहेड टैंक में आई तकनीकी कमी को शीघ्र दूर कराया जाएगा। ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति सुचारू कराई जाएगी।

दो माह से ग्रामीण पेयजल के लिए तरस रहे

हैंडपंपों से निकल रहा है दूषित पानी

ग्रामीण बताते हैं कि काफी समय से गांव में लगे हुए हैंडपंपों का पानी पीने के योग्य नहीं है। उनसे दूषित पानी निकल रहा है। दूषित पानी पीने के बाद लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।

सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप

संवाद न्यूज एजेंसी

नजीबाबाद। किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने लोक निर्माण विभाग में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। किसानों ने मार्ग निर्माण कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लोनिवि के एक्सईएन ने धरने को विभाग की छवि धूमिल करने और अनैतिक दबाव से प्रेरित बताया।

भाकियू टिकैत के पश्चिमी उप सचिव दिनेश कुमार, तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश राजपूत, डॉ. धर्मवीर सिंह, नरदेव सिंह, बलजीत सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान मंगलवार को लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचे। किसानों ने नगीना से हरेवली, किरतपुर से असगरपुर, दाउदपुर से रानी नंगला, नांगल क्षेत्र सहित कई संपर्क मार्गों के निर्माण से संबंधित मुद्दे उठाए। किसानों ने मार्गों के निर्माण में मानकों अनदेखी करने, विभाग में भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं का आरोप लगाए।

किसानों का आरोप था कि विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होने से ठेकेदारों द्वारा हाल ही के वर्षों में बनाए गए मार्ग खस्ताहाल हो चुके हैं। किसानों ने खस्ताहाल लोनी में मार्गों और भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की।

उधर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार सारस्वत ने विभाग के एक ठेकेदार पर किसानों को गुमराह कर विभाग और सरकार की छवि धूमिल करने को धरना प्रदर्शन शुरू करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा किसानों ने अनैतिक दबाव के लिए धरना शुरू किया है। शैलेंद्र सारस्वत नगीना हरेवली मार्ग निर्माण स्वीकृत न होने, किरतपुर से असगरपुर संपर्क मार्ग के रपटे की एप्रोच का मानक के अनुरूप निर्माण कार्य जारी होने सहित कई निर्माण कार्यों की जानकारी दी।

मानकों के विपरीत मार्ग निर्माण और अनियमिताओं का आरोप लगाया

नजीबाबाद के लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर धरना देते किसान। संवाद

संपर्क मार्ग कई जगह खस्ताहाल

मंडावली। कई गांवों को जोड़ने वाला मंझाड़ी-लाहक कला संपर्क मार्ग जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है। राहगीरों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है। मार्ग के गड्ढों से अनियंत्रित होकर आए दिन दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं।

ग्रामीणों अनुज चौधरी, राजवीर सिंह, कुलदीप, शिवकुमार चौहान, सुभाषचंद्र ने बताया कि संपर्क मार्ग मंझाड़ी से शेखपुरा आलम, लाहक कला, शाहबपुरा, उमराव आदि गांवों को जोड़ता है। करीब तीन किमी लंबा संपर्क मार्ग पूरी तरह जर्जर है। क्षतिग्रस्त संपर्क मार्ग से स्कूली बच्चों, किसानों और मरीजों को आवागमन में दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने लोनिवि से संपर्क मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की है। उधर, लोक निर्माण विभाग के जेई नीरज कुमार ने बताया कि मार्ग की मरम्मत तीन साल बाद की जाती है। संवाद

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

ब्लॉक नं० 3 फ्लैट नं० 23, शासकीय हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड 248005
Website : www.ukmssb.org, Email: ukmssbdun@gmail.com, Ph. 0135-2665366

विज्ञप्ति सं०:-25/2026 दिनांक:- 30 जून, 2026

प्राफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर परीक्षा- 2026 (राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु)

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत प्रोफेसर के रिक्त 08 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त 46 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0/03/2026-27/524, दिनांक 30 जून 2026 के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के रिक्त 08 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त 46 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। पदवार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	वेतनमान	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	सामान्य/आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रोफेसर	वेतनमान ₹144200-218200 लेवल-14	08	04	00	00	00	04
एसोसिएट प्रोफेसर	वेतनमान ₹131100-216600 लेवल-13(क)	46	19	00	02	02	23

नोट:-
- उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 79293/XXVIII(5)/2022-(E-22311) दिनांक 28 नवम्बर 2022 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र अर्थात श्रीनगर/अल्मोड़ा के लिए Medical Teachers Deficiency Compensatory Scheme के अधीन 50 प्रतिशत भत्ता अनुमन्य होगा।
- विषयवार/संकायवार पदों का विवरण तथा क्षैतिज आरक्षण के विवरण हेतु विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	—	दिनांक 30 जून 2026 (मंगलवार)
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	—	दिनांक 09 जुलाई 2026 (बृहस्पतिवार)
ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	—	दिनांक 29 जुलाई 2026 (बुधवार) सांय 05.00 बजे तक
आवेदन शुल्क Net Banking /Debit/Credit Card /UPI के माध्यम से जमा करने की अन्तिम तिथि	—	दिनांक 29 जुलाई 2026 (बुधवार) सांय 05.00 बजे तक
ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु समय अवधि	—	दिनांक 31 जुलाई 2026 से दिनांक 03 अगस्त 2026 तक (सांय 05.00 बजे तक)

विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से दिनांक 09 जुलाई 2026 (बृहस्पतिवार) से ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 29 जुलाई 2026 (बुधवार) (सांय 05.00 बजे तक) है। विस्तृत विज्ञापन से सम्बन्धित विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें।

सचिव

UTTARAKHAND CIVIL AVIATION DEVELOPMENT AUTHORITY (UCADA)

(Department of Civil Aviation)(Government of Uttarakhand)
Schoolradhara Helidrome, P.O. Kulhan, Dehradun- 248001, Uttarakhand
Email: ucadadoon@gmail.com, Website: www.ucada.in

Ref.: 470803/RFP/TWINENGINE/WETLEASE/UCADA/2026 DATE: 30/06/2026

E-TENDER NOTICE

Uttarakhand Civil Aviation Development Authority (UCADA) Dehradun, invites proposals from eligible bidder(s) to submit their proposals/bids for the following package.

S.No.	Name of Package	Date of Start of downloading the document	Date of Pre-Bid Meeting	Last Date of submission of bids	EMD (INR)
1	HIRING OF A TWIN-ENGINE HELICOPTER FOR VVIP/ VIP/ OTHER MOVEMENT ON A WET-LEASE BASIS FOR A PERIOD OF 03 MONTHS Ref. No.: 470803/RFP/ TWINENGINE/WETLEASE/ UCADA/2026	01/07/2026	03/07/2026	07/07/2026	10,00,000/-

Details can be obtained from the website www.uktenders.gov.in and/or www.ucada.in from 01/07/2026, 12:00 PM. The proposal must be submitted online on the portal, www.uktenders.gov.in only.
Note:- 1. The Corrigendum/Addendum for the above package will be uploaded on website www.uktenders.gov.in &/or www.ucada.in
2. Email id: ucadadoon@gmail.com, ucadaboo@gmail.com & procurement.ucada@gmail.com may be contacted for any information.

ACEO, UCADA

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर

पत्रांक :- 614/E-Tender/CM-NSY/2026-27 दिनांक :- 29-06-2026

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के निर्माण विभाग के समस्त पंजीकृत / वर्ष 2026-27 में नवीनीकृत/किसी भी शासकीय विभाग में निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत / नवीनीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि "मुख्यमंत्री नगर सृजन कोजनगर्गत" 01 निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 06/07/2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है। वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर निविदा फार्म ऑनलाईन दिनांक 30/06/2026 को प्रातः 10:00 से दिनांक 06/07/2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक डाउनलोड तथा अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई-निविदाओं को दिनांक 06/07/2026 को अपराह्न 4:00 बजे अधिशासी अधिकारी महोदय के समक्ष खोला जायेगा। निविदा सूचना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के निर्माण विभाग कार्यालय में आकर अथवा ऊपर दी गयी वेबसाईट पर लॉग इन कर प्राप्त कर सकते है।

सहायक अभियन्ता (निर्माण), नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर। | अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर। | अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर

पत्रांक :- 617/E-Tender/P.W.D/NPP/2026-27 दिनांक :- 30-06-2026

ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के निर्माण विभाग के समस्त पंजीकृत / वर्ष 2026-27 में नवीनीकृत / किसी भी शासकीय विभाग में निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत / नवीनीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि निम्नलिखित 79 निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 22/07/2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है। वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर निविदा फार्म ऑनलाईन दिनांक 02/07/2026 को प्रातः 10:00 से दिनांक 22/07/2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक डाउनलोड तथा अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई-निविदाओं को दिनांक 22/07/2026 को अपराह्न 4:00 बजे अधिशासी अधिकारी महोदय के समक्ष खोला जायेगा। कार्य राज्य वित्त आयोग की शर्तानुसार के अन्तर्गत स्वीकृत है। निविदा सूचना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के निर्माण विभाग कार्यालय में आकर प्राप्त कर सकते है।

सहायक अभियन्ता (निर्माण) नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर। | अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर। | अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर

रक्तदान करने के लिए किया प्रेरित

धामपुर। नगर पालिका परिसर में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदान के लिए पालिकाध्यक्ष ने युवाओं को प्रेरित किया। मंगलवार को नगरपालिका में आयोजित बैठक में पालिकाध्यक्ष रवि कुमार सिंह ने कहा कि बुधवार को नगरपालिका परिसर में सुबह दस बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने रक्तदान के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। बताया कि रक्तदान करने से मानसिक और कई प्रकार के शारीरिक लाभ होते हैं। रक्त को किसी अन्य वैकल्पिक माध्यम से तैयार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी व्यक्ति को जीवनदान दिया जा सकता है। उन्होंने युवा वर्ग से शिविर में पहुंचकर महादान करने का आह्वान किया। बैठक में अतुल कुमार, ओमजीत, नमन, रिंकू, आदि रहे। संवाद

कार्यालय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम

मे०नि०-48 अशोक वाटिका, प्रभात नगर, सार्वेल, मेरठ
Email - dlmmeo@upfc.in

पत्रांक: - 413 दिनांक 30/06/2026

प्रकाष्ठ दुलान निविदा

मेरठ लीसिंग प्रभाग के अन्तर्गत आवंटित मु०नगा वन प्रभाग की वर्ष 2026-27 की लीह के कार्यक्रम की विभिन्न डिपुओं तक ढुलान हेतु द्वितीय आमंत्रित की जाती है। निविदा निविदा एवं कार्य का विवरण / शर्त अधिशासी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र की निविदा के साथ 10000.00/- (एक लाख रुपये मात्र) + जी०एस०टी० धरोहर धनराशि के रूप में ₹० सी० ₹० ३०७० का विभाग मेरठ के माध्यम से संचालित चालू खाता सं० 031900210079470 पी०एन०बी० मार्केट मेरठ में जमा करनी होगी। भरी हुई निविदा दि० 04/07/2026 के अपरान्ह 03:00 बजे तक रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट डाक से ही प्राप्त की जायेगी। वो उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे पंजीकृत समिति द्वारा खोली जायेगी।

(हरजान सिंह)
प्रभागीय लीसिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, मेरठ।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना विक्रय सूचना

मण्डल कार्यालयः एआरएमबी, बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cs8204@pnb.co.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंक के प्रभार में दी गई चल एवं अचल सम्पत्तियों का विक्रय अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन आधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंक के देय की वसूली के लिए निम्नलिखित मामलों में बैंक के प्रभार में दी गई अधोलिखित सम्पतितयों की जहां भी है और जैसा भी है स्थिति में है– नीलामी की जाएगी।

क्र0 सं0	शाखा/खाता/ऋणी/गारन्टर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख बी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया रकम सी) 31.05.2026 तक मौजूदा बकाया रकम डी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख ई) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक कब्जा	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) बयाना राशि (ईएमडी) (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	शाखाः एआरएमबी, बिजनौर श्री राम सिंह फलौदिया पुत्र श्री पूरन सिंह (ऋणी/बंधककर्ता), श्रीमती रविन्द्रा कौर पत्नी श्री राम सिंह फलौदिया (सह.ऋणी/बंधककर्ता), श्री रामअवतार पुत्र श्री बनवारी (गारन्टर)।	बंधक सम्पत्ति स्वामी श्री राम सिंह फलौदिया पुत्र श्री पूरन सिंह फलौदिया एवं श्रीमती रविन्द्रा कौर फलौदिया पत्नी श्री राम सिंह फलौदिया स्थित खसरा नं. 326 का भाग, स्थित मौहल्ला संत नगर कस्बा परगना और तहसील चांदपुर, जिला- बिजनौर कुल माप 190.00 वर्गमीटर रिकार्ड बही नं. 01, जिल्द नं. 5170, पेज नं. 309 से 330, क्रमांक नं. 1408, दिनांक 04.02.2011, सब रजिस्ट्रार कार्यालय चांदपुर, जिला- बिजनौर (उ.प्र.) पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँ:- पूर्व- 1.50 मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिम- चेतराम उर्फ चेतू का खेत, उत्तर- नामालूम की आराजी उसके बाद तेजू का मकान, दक्षिण- कब्रिस्तान की आराजी।	(ए) 07.12.2022 (बी) रू0 27,36,826.40 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.12.2022 (सी) रू0 37,67,016.40 + प्रभावी ब्याज दिनांक 31.05.2026 (डी) 24.02.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 25,34,000/- रू0 2,53,400/- रू0 1,00,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
2	शाखाः एआरएमबी, बिजनौर श्री पंवन कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव दत्त शर्मा (ऋणी/बंधककर्ता), श्री महेश पुत्र श्री धर्मवीर सिंह (गारन्टर)।	एक मंजिल अधूरा भवन, सम्पत्ति स्वामी श्री पवन शर्मा पुत्र श्री शिव दत्त शर्मा, स्थित ग्राम कल्याणपुर उर्फ विसथ परगना दारानगर, तहसील एवं जिला बिजनौर (उ0प्र0), सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल 481.00 वर्ग मीटर, पंजीकृत बही नं0 01, जिल्द नं0 8759, पेज नं0 239-258, दस्तावेज नं0 954 दिनांक 01.02.2017, सीमाऐं: उत्तरः नाला तदोपरान्त जूनियर हाईस्कूल, दक्षिणः रास्ता 12 फीट चौड़ा, उत्तरः श्री अखिलेश शर्मा का प्लॉट, पश्चिमः श्री पवन कुमार का मकान।	(ए) 02.09.2020 (बी) रू0 22,40,561/- + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 10.06.2020 (सी) रू0 46,17,984/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 31.05.2026 (डी) 27.11.2020 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 22,35,000/- रू0 2,23,500/- रू0 1,00,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
3	शाखाः एआरएमबी, बिजनौर श्री उदय वीर सिंह पुत्र श्री राजा राम सिंह (ऋणी/बंधककर्ता), श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री उदय वीर सिंह (सह-उधारकर्ता) एवं कुमारी शैफाली राठी पुत्री श्री उदय वीर सिंह (सह-उधारकर्ता)।	बंधक आवासीय भूमि स्थित प्लॉट संख्या एफ-5, गीता नगरी, (जो ग्राम मीरापुर रजा एवं फरीदपुर खेमा), सिविल लाइंस, जनपद बिजनौर (उ.प्र.) में स्थित है, (श्री उदय वीर सिंह पुत्र श्री राजा राम सिंह के नाम पर) कुल क्षेत्रफल 168.00 वर्ग मीटर। पंजीकृत बही संख्या 1, जिल्द संख्या 2884, पृष्ठ संख्या 149 से 162, क्रमांक 10909, दिनांक 09.12.2005, उप-पंजीयक कार्यालय बिजनौर। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः सीमा रानी का प्लॉट, पश्चिमः पूनम जैन का प्लॉट, उत्तरः सुरपाल सिंह का प्लॉट, दक्षिण : 30 फीट चौड़ी सड़क।	(ए) 17.03.2026 (बी) रू0 48,88,362.13 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 28.02.2026 (सी) रू0 49,33,032.13 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.06.2026 (डी) 18.05.2026 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 1,06,00,000/- रू0 10,60,000/- रू0 2,00,000/-	04.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक नोटिस 15 दिनों का नोटिस | ईएमडी की अंतिम तिथिः नीलामी समय से पहले

ई-नीलामी '' जह